27/11/12

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांकः–जविप्रा / अ.आ. / एल.पी.सी. / 12 / डी– 1452 दिनांकः– 27/11/12

कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की **91वीं बैठक दिनांकः 12.11.12 को प्रातः 11.30 बजे** जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में **''चिन्तन सभा कक्ष''** में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित अधिकारीगण का विवरण परिशिष्ठ 'अ' पर संलग्न है। बैठक में विचार विमर्श पश्चात निम्नांकित निर्णय लिये गये :–

क्र. सं	जोन नं.	प्रस्ताव संख्या	विषय	निर्णय
1.		91:1	प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 90वीं बैठक दिनांक 28.09.12 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन व 64वीं से 90वीं बैठक में लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति की समीक्षा।	**I. 90वीं बैठक दिनांक 28.09.12:–** प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 90वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया। अवशेष पालना रिपोर्ट की समीक्षा करने पर आयुक्त महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि सचिव अपने स्तर पर अवशेष अनुपालना की समीक्षा करें तथा जिन उपायुक्तों से पालना रिपोर्ट समय पर प्राप्त नहीं होती है, उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर अवगत करावे। प्री–एलपीसी की बैठक में पालना की समीक्षा हेतु संबंधित उपायुक्त को बुलाया जावे।
2.	12	91:2	श्री झाबर सिंह को सहवन से प्रस्तावित विनिमय में आवंटित भूखण्ड सं. सी–20 के बदले पूर्व में आवंटित कॉर्नर भूखण्ड संख्या सी–24 बिन्दायका आवासीय योजना में बढे हुए क्षेत्रफल की राशि की मांग करते हुए भूखण्ड सं. सी–24 यथावत रखने बाबत।	श्री झाबर सिंह को बिन्दायका आवासीय योजना में भूखण्ड सं. सी–24 क्षेत्रफल 116 वर्गमीटर दिनांक 23.07.96 को आंवटित किया गया था। कब्जा पत्र देते समय भूखण्ड का क्षेत्रफल 65.50 वर्गमीटर बढ़ गया। एलपीसी की 47वीं बैठक दिनांक 25.08.08 में उक्त बढे हुए क्षेत्रफल 65.50 वर्गमीटर को आवासीय आरक्षित दर की दुगुनी दर लेकर आवंटित करने का निर्णय लिया गया। किन्तु आवंटी द्वारा राशि जमा कराने में असमर्थता व्यक्त की अतः एलपीसी की 87वीं बैठक दिनांक 21.02.12 में इसके स्थान पर भूखण्ड सं. सी–20 विनिमय करने का निर्णय लिया गया। भूखण्ड सं. सी–20 का आवंटन पूर्व में ही अन्य आवंटी को किया जाकर लीजडीड जारी हो जाना पाया गया। प्रार्थी द्वारा पुनः भूखण्ड सं. सी–24 आवंटन करने की सहमति दी गई। अतः भूखण्ड सं. सी–20 का विनिमय जो दिनांक 21.02.12 की बैठक में किया गया था, उसे निरस्त करते हुए भूखण्ड सं. सी–24 क्षेत्रफल 181.50 वर्गमीटर आवंटन का निर्णय लिया गया। बढे हुए क्षेत्रफल 65.50 वर्गमीटर कों स्ट्रीप ऑफ लैण्ड मानते हुए आवासीय आरक्षित दर की दुगुनी राशि लेकर आवंटन करने का निर्णय लिया गया। उपायुक्त जोन 12 को निर्देशित किया गया कि वह संबंधित लिपिक जिसकी गलती से पूर्व में एलपीसी में निर्णय लिया गया था के संबंध में अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित करें।
3.	1	91:3	श्री मोहन सिंह पुत्र श्री नारायण सिंह को भूखण्ड सं. ई–150 झालाना फेज–II के बदले भू.सं. ई–137, झालाना फेज–III में आंवटन के संबंध में।	श्री मोहन सिंह पुत्र नारायण सिंह को भूखण्ड सं. ई–150 क्षेत्रफल 51.53 वर्गगज झालाना फेज–II जवाहर नगर, कच्ची बस्ती, टीला नं. 4 व 5 के स्वीकृत सर्वेधारी को आवंटन किया गया था, परन्तु भूखण्ड का कब्जा देते समय मौके पर गहरे गड्डे होने के कारण भूखण्ड का अस्तित्व मौके पर नहीं मिला। उपायुक्त द्वारा इसके एवज् में भूखण्ड सं. ई–137 क्षेत्रफल 51.53 वर्गगज आवंटन हेतु प्रस्तावित किया है। अतः श्री मोहन सिंह को भूखण्ड सं. ई–150 के स्थान पर ई–137 आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

उपायुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

4.	13	91:4	ग्राम नायला, तहसील–जमवारामगढ में महात्मा गॉधी राजीव गॉधी ई–सेवा केन्द्र हेतु भूमि आवंटन के संबंध मे।	महात्मा गॉधी राजीव गॉधी ई–सेवा केन्द्र नायला को ग्राम नायला के आराजी खसरा नं. 40/1 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा में से 5 बिस्वा भूमि का आवंटन किया जा चुका है। समिति द्वारा विचार–विमर्श कर कार्योत्तर स्वीकृति देने का निर्णय लिया गया। निःशुल्क आवंटन हेतु राज्य सरकार को निवेदन किया जावे।
5.	13	91:5	ग्राम चौमू, तहसील चौमू में महिला एवं बाल विकास विभाग को कार्यालय भवन के लिए भूमि आवंटन करने बाबत।	ग्राम चौमू तहसील चौमू के खसरा नं. 745/2 रकबा 0.38 हेक्टे. में से 750 वर्गमीटर भूमि महिला एवं बाल विकास विभाग चौमू को कार्यालय भवन हेतु आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
6.	9	91:6	मैसर्स केशवानन्द बिल्डहोम प्रा0 लि0 जगतपुरा को खातेदार द्वारा समर्पित भूमि में से सृजित भूखण्डों के साईज में अन्तर होने से दर निर्धारण बाबत व सेक्टर रोड में व्यावसायिक भू–पट्टी के प्रकरणों में भूखण्ड के क्षेत्रफल में अंतर के संबंध में नीतिगत निर्णय हेतु।	सेक्टर रोडो के विकास हेतु खातेदार द्वारा समर्पित 1373 वर्गमीटर भूमि के एवज् में 343.25 वर्गमीटर भूमि का व्यावसायिक भूखण्ड आवंटित किया जाना था, किन्तु मौके पर उक्त भूखण्ड का क्षेत्रफल 12.25 वर्गमीटर बढ जाने के कारण बढे हुए क्षेत्रफल को व्यावसायिक आरक्षित दर की दुगुनी दर पर आवंटित करने का निर्णय लिया गया। सेक्टर रोड हेतु समर्पित भूमि के बदले दिये जाने वाले भूखण्ड का क्षेत्रफल मौके पर 100 वर्गगज अथवा दी जाने वाली भमि के 10 प्रतिशत की सीमा तक जो भी कम हो बढ जाने पर व्यावसायिक आरक्षित दर की दुगुनी कीमत पर आवंटन करने का समिति द्वारा नीतिगत निर्णय लिया गया। भविष्य में तदनुसार कार्यवाही की जावे।
7.	12	91:7	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् भारत सरकार को क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने हेतु डेढ एकड़ भूमि आवंटन करने बाबत।	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् भारत सरकार को क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने हेतु ग्राम दहमीकलां तहसील सांगानेर के खसरा नं. 769 रकबा 17.41 हेक्टे. में से 1.5 एकड भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया गया। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प–3(268)नविवि/3/2011 दिनांक 03.07.12 के अनुसार केन्द्र सरकार के संगठनों को आवंटित की जाने वाली भूमि की दरो के निर्धारण हेतु संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। प्रकरण केन्द्र सरकार के कार्यालय से संबंधित होनें के कारण संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में गठित कमेटी को दर निर्धारण हेतु मय चैक लिस्ट प्रस्ताव भिजवाने का निर्णय लिया गया।
आयुक्त महोदय की अनुमति से निम्न अतिरिक्त एजेण्डा पर चर्चा कर निर्णय लिये गये :–				
8.	13	91:7(1)	श्रीमती गीता संतानी राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त अवार्डी को राजभवन योजना में भूखण्ड आवंटन बाबत।	राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के नियम 17ए में अध्यापको को अधिकतम 200 वर्गमीटर भूमि आरक्षित दर पर आवंटन करने का प्रावधान है। राजभवन आवासीय योजना में सभी भूखण्ड 220 वर्गमीटर के आरक्षित किये गये है। अतः निदेशक आयोजना द्वारा री–प्लानिंग की जाकर 200 वर्गमीटर क्षेत्रफल के भूखण्डों का एक पृथक ब्लॉक इस उद्देश्य हेतु सृजित किया जावे। री–प्लानिंग होने के पश्चात् प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।
9.	13	91:7(2)	श्री नारायण लाल कूलवाल राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त अवार्डी को राजभवन योजना में भूखण्ड आवंटन बाबत।	राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के नियम 17ए में अध्यापको को अधिकतम 200 वर्गमीटर भूमि आरक्षित दर पर आवंटन करने का प्रावधान है। राजभवन आवासीय योजना में सभी भूखण्ड 220 वर्गमीटर के आरक्षित किये गये है। अतः निदेशक आयोजना द्वारा री–प्लानिंग की जाकर 200 वर्गमीटर क्षेत्रफल के भूखण्डों का एक पृथक ब्लॉक इस उद्देश्य हेतु सृजित किया जावे। री–प्लानिंग होने के पश्चात् प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

अति० आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

10.	13	91:7(3)	श्रीमती सुशीला देवी शोर्य चक्र धारक स्व. श्री खिलौना सिंह की विधवा को भूखण्ड आवंटन बाबत।	श्रीमती सुशीला देवी पत्नि स्व. श्री खिलौना सिंह (शोर्य चक्र धारक की पत्नि) को राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के नियम 17ए के प्रावधानानुसार राजभवन योजना के भूखण्ड सं. बी–216 आवासीय आरक्षित दर की 50 प्रतिशत पर आवंटन का निर्णय लिया गया।
11.	12	91:7(4)	मेजर आर.पी. वर्मा को बिन्दायका योजना में भूखण्ड सं. ए–5 शमशान के उपयोग में आने के कारण इसके स्थान पर अन्य भूखण्ड विनिमय में देने बाबत।	मेजर आर.पी. वर्मा को बिन्दायका योजना में भूखण्ड सं. ए–5 क्षेत्रफल 260.22 वर्गमीटर आवंटित किया गया था किन्तु उक्त भूखण्ड का शमशान के उपयोग में आने के कारण आवंटी को कब्जा सुपुर्द नहीं किया गया। अतः समान चौडाई की सडक पर स्थित भूखण्ड सं. 25 से 31 क्षेत्रफल 262 वर्गमीटर में से कोई एक भूखण्ड लॉटरी से आवंटन करने का निर्णय लिया गया। बढे हुए क्षेत्रफल की आरक्षित दर की दुगुनी राशि वसूल की जावे।
12.	13	91:7(5)	ग्राम चौंप में राजस्थान राज्य प्रसारण निगम लि0 को आवंटित भूमि को कम्पनी के नाम परिवर्तन बाबत।	भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 69वीं बैठक दिनांक 23.08.10 में ग्राम चौंप की 22 हेक्टे. भूमि राजस्थान राज्य प्रसारण निगम लि0 को 400केवी. जीएसएस निर्माण हेतु आवासीय आरक्षित दर की 50 प्रतिशत पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया था। निगम द्वारा आवंटित भूमि की राशि जमा कराकर भूमि का कब्जा अपनी सहायक (Subsidiary) कंपनी पिंकसिटी ट्रांसमिशन सर्विसेज प्रा0 लि0 को देने व कम्पनी के नाम आवंटन संशोधन करने का अनुरोध किया गया है । समिति द्वारा पूर्व आवंटन निरस्त किया जाकर राजस्थान राज्य प्रसारण निगम लि0 की सब्सीडरी कम्पनी पिंकसिटी ट्रांसमिशन सर्विसेज प्रा0 लि0 को चौंप स्कीम की निर्धारित आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया। प्रकरण में राज्य सरकार से अनुमोदन प्राप्त किया जावे।
13.	9	91:7(6)	श्रीमती लता फूलवानी को सेन्ट्रल स्पाईन योजना के भूखण्ड सं. ई–32 के स्थान पर सी–234 विनिमय में देने बाबत।	श्रीमती लता फूलवानी को सेन्ट्रल स्पाईन योजना में भूखण्ड सं. ई–32 क्षेत्रफल 270 वर्गमीटर 12 मीटर चौडी रोड पर वर्ष 2005 में आवंटन किया गया था। उक्त भूखण्ड रामचन्द्रपुरा बांध के जल भराव क्षेत्र में होने के कारण प्रार्थीया का भूखण्ड का भौतिक कब्जा नहीं दिया जा सका। योजना में 12 मीटर एवं 18 मीटर रोड पर 270 वर्गमीटर का भूखण्ड खाली न होने संबंधी उपायुक्त जोन की रिपोर्ट के आधार पर 18 मीटर रोड पर स्थित भूखण्ड सं. सी–234 क्षेत्रफल 324 वर्गमीटर विनिमय करने का निर्णय लिया गया। बढे हुए क्षेत्रफल 54 वर्गमीटर की आवासीय आरक्षित दर की दुगुनी राशि वसूल की जावे।

आयुक्त जविप्रा द्वारा बैठक में संबंधित जोन के उपायुक्तों के उपस्थित न रहने पर अप्रसन्नता जाहिर की गई। भविष्य में बैठक में प्रकरणों से संबंधित उपायुक्त की उपस्थिति आवश्यक रूप से सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया। सचिव जविप्रा की अनुमति बिना बैठक में उपायुक्तगण अनुपस्थित नहीं रहें, इस हेतु निर्देशित किया।

बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।

सदस्य सचिव
एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)

प्रति० आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्रति० आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सिचव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
3. निंजी सचिव, जयपुर विकास आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
4. जिला कलक्टर, जयपुर
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर
6. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर
7. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जयपुर
8. मुख्य अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर
9. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, जयपुर
10. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
11. निदेशक(वित्त / अभि0 / आयोजना), जविप्रा, जयपुर
12. अतिरिक्त आयुक्त(पूर्व / प्रशासन / एल.पी.सी. / भूमि), जविप्रा, जयपुर
13. संयुक्त आयुक्त (संसाधन विकास एवं समन्वय), जविप्रा, जयपुर
14. अतिरिक्त निदेशक(राजस्व एवं सम्पति निस्तारण), जविप्रा, जयपुर
15. उपायुक्त जोन–1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
16. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर को कार्यवाही विवरण स्केन करने के लिये।
17. सहायक निदेशक, जन सम्पर्क, जविप्रा, जयपुर
18. रक्षित पत्रावली

सदस्य सचिव
एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)

अति० आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

अति० आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

परिशिष्ट 'अ'

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

उपस्थिति पत्र

भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 91वी बैठक दिनांक 12.11.12 में उपस्थित अधिकारियों की सूचीः–

क्र.सं.	नाम अधिकारी मय पद	एल.पी.सी. में पद
1.	श्री कुलदीप रांका, आयुक्त	अध्यक्ष
2.	श्री बिष्णु चरण मल्लिक, सचिव	सदस्य
3.	श्री डी.सी. जबडा, निदेशक (वित्त)	सदस्य
4.	श्री ओ0पी0 गुप्ता, अतिरिक्त आयुक्त (भूमि)	सदस्य
5.	श्री अनिल कुमार अग्रवाल, अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी)	सदस्य सचिव
6.	श्री पुखराज सैन, अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व)	सदस्य
7.	श्री अनिल पथरिया, अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (आयोजना)	सदस्य प्रतिनिधी
8.	श्री रामअवतार शर्मा, अतिरिक्त निदेशक (राजस्व एवं सम्पत्ति)	विशेष आमंत्रित
9.	श्री गिरीराज अग्रवाल, संयुक्त आयुक्त (संसाधन विकास एवं समन्वय)	विशेष आमंत्रित
10.	श्री दिनेश कुमार पंवार, उपायुक्त जोन–4	विशेष आमंत्रित
11.	श्री केसर लाल मीणा, उपायुक्त जोन–9	विशेष आमंत्रित
12.	श्री विरेन्द्र सिंह यादव, तहसीलदार जोन–13	विशेष आमंत्रित